राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान

(मानद विश्वविद्यालय)

माधव विलास पैलेस, आमेर रोड़, जयपुर–302002

फर्म का नाम एवं पता ....

....

मो. नंबर ....

E-Mail ID ....

<u>निविदा प्रपत्र</u>

1. विषय : निविदा जिस कार्य/वस्तु के लिये दिया जा रहा है
   उसका नाम : **<u>Rate Contract for Hiring of Bus, Mini Bus and Tempo Traveller</u>**

2. निविदादाता का पूरा नाम व पता : ....
3. प्रेषित अधिकारी/कार्यालय का नाम : कुलपति, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
4. धरोहर राशि ....रूपये डी.डी. नं. ....दिनांक ....के द्वारा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर में जमा कर दी है ।
5. सभी संलग्न कुल............दस्तावेज पृष्ठ संख्या.........से........तक अंकित है एवं स्वहस्ताक्षर सहित है ।
6. मैं/हम निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तो को स्वीकार करते है और इससे बाध्य रहेगें ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

(मय रबड़ स्टाम्प)

स्थान:

दिनांक :

फर्म का नाम.............................

(मय रबड़ स्टाम्प)

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर

(मानद विश्वविद्यालय)

भारत सरकार द्वारा संस्थापित)

माधव विलास पैलेस, आमेर रोड़,

जयपुर–302002 (राजस्थान)

निविदा शर्तें

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, भारत सरकार आयुष मंत्रालय नई दिल्ली के अधीन है जो आयुर्वेद को आगे बढाये जाने एवं उसका विकास करने के लिए विशिष्ट योग्यताधारी अध्यापकों, वैद्यों के माध्यम से विद्यार्थियों को अध्ययन-अध्यापन, शोध कार्य करवाये जाने के साथ आयुर्वेद पद्धति से बिमारियों का ईलाज करता है, जो निम्नलिखितानुसार Rate Contract for Hiring of Bus, Mini Bus and Tempo Traveller के लिए बाजार में कार्यरत फर्मो से सम्पूर्ण विवरण सहित ई-निविदा सीपीपी पोर्टल की वेबसाईट https://eprocure.gov.in/eprocure/app एवं संस्थान की वेबसाईट www.nia.nic.in से डाउनलोड कर सीपीपी पोर्टल की वेबसाईट https://eprocure.gov.in/eprocure/app पर भरा जावेगा।

क.सं.	**नाम वस्तु**	**निविदा अनुमानित लागत**	**धरोहर राशि**
1	**Rate Contract for Hiring of Bus, Mini Bus and Tempo Traveller**	30,00,000/–	60,000/–

1. निविदादाता द्वारा सी.पी.पी. पोर्टल पर निविदा निम्नलिखित प्रकार से भरी जायेगी –

क्र.सं.	**विवरण**	**तिथि एवं समय**
1.	निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर भरने की प्रांरभ तिथि एवं समय (https://eprocure.gov.in/eprocure/app)	20-12-2022 06:00 PM
2.	प्री-बिड मीटिंग की तिथि एवं समय स्थान:- सेमीनार हॉल, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर	28-12-2022 03:00 PM
3.	निविदा ऑनलाईन भरने की अंतिम तिथि एंव समय (https://eprocure.gov.in/eprocure/app)	10-01-2023 03:00 PM
4.	धरोहर राशि का डी.डी. संस्थान में जमा करने की अंतिम तिथि	10-01-2023 03:00 PM
5.	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	11-01-2023 03:00 PM

2. निविदादाता को धरोहर राशि 60,000/– का बैंक ड्राफ्ट **National Institute of Ayurveda (Payable at Jaipur)** के नाम बना कर संस्थान में प्रेषित करना अनिवार्य होगा, चैक व एफ.डी. आर. मान्य नहीं होगी तथा अपर्याप्त धरोहर राशि के अभाव में प्रारम्भिक रूप से ही निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
3. MSE/Startup निविदादाता फर्मो को वैध दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण पर MSE/Startup के प्रावधानों का पालन किया जायेगा।
4. निविदा दस्तावेज सीपीपी पोर्टल की वेबसाईट https://eprocure.gov.in/eprocure/app एवं संस्थान की वेबसाईट www.nia.nic.in से डाउनलोड कर सीपीपी पोर्टल की वेबसाईट

https://eprocure.gov.in/eprocure/app पर निविदा भरी जायेगी तथा निविदा भरने की अन्तिम तिथि दिनांक 10-01-2023 को 03:00 PM बजे तक रहेगी ।

5. निविदा की फाईनेन्सियल एवं टेक्नीकल बिड पृथक्-पृथक् होगी। फाईनेन्सियल बिड में आमंत्रित की गई निविदा की दरें होगी जो **CPP Portal** पर **Online** भरी जायेगी तथा टेक्नीकल बिड में निविदा में चाहे गये वांछित दस्तावेज होगें जो ऑनलाइन ही अपलोड करने होंगे।
6. निविदादाता द्वारा दरें निर्धारित **BOQ** में अंकों में **Online CPP Portal** पर भरनी होगी । निविदा में दरें डेसीमल में मान्य नहीं होगी।
7. निविदादाताओ को गाडी की 250 किलोमीटर की Running के पश्चात् प्रति किलोमीटर की दर भी **BOQ** में **Online** भरना अनिवार्य होगा।
8. निविदादाता द्वारा टेक्नीकल बिड में फर्म का रजिस्ट्रेशन, उद्यम आधार, जीएसटी रजिस्ट्रेशन पत्र, विगत तीन वर्षो के आयकर रिटर्न, फर्म को ब्लेकलिट ना होने का शपथ पत्र, विगत तीन वर्षो का फर्म का न्यूनतम वार्षिक औसत टर्नओवर 15 लाख रूपये (सी.ए द्वारा प्रमाणित),, फर्म का कार्य का अनुभव(विगत पाँच वर्षो में दो वर्ष सरकारी कार्यालय में गाड़ी चलाने का कान्ट्रेक्ट) तथा गाड़ीयों का रजिस्ट्रेशन (RC), गाड़ीयों के इंश्योरेंस दस्तावेज, RTO क्लीयरेंस का दस्तावेज, गाड़ी का प्रदूषण व फिटनेस प्रमाण पत्र एवं चालक का हैवी लाईसेंस इत्यादि से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें।
9. प्राप्त निविदा की पहले टेक्नीकल बिड संस्थान क्रय समिति के समक्ष दिनांक 11-01-2023 को 03:00 PM बजे खोली जायेगी । टेक्नीकल बिड में सफल निविदादाताओं की ही फाईनेन्सियल बिड खोली जावेगी तथा असफल निविदादाताओं की धरोहर राशि टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् लौटा दी जावेगी।
10. फाईनेन्सियल बिड में सफल निविदाओं द्वारा निविदा में अनुमानित मूल्य का 3 प्रतिशत सिक्यूरिटी राशि का डी.डी. एवं 500/-के नॉनज्यूडिशियल स्टैम्प पैपर पर निविदा में निर्धारित अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत करना होगा उसके बाद ही कॉन्ट्रेक्ट आदेश दिया जावेगा। असफल निविदादाताओं की धरोहर राशि टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् लौटा दी जावेगी।
11. सफल निविदादाताओं द्वारा आदेश में अंकित दरों के अन्तर्गत कार्य करना होगा । आदेशित कार्य न करने पर सिक्युरिटी राशि जब्त कर ली जायेगी ।
12. टोल टैक्स, पार्किंग आदि का व्यय की वास्तविक राशि तक का भुगतान मूल रसीद संलग्न करने पर पृथक से किया जावेगा । वास्तविक व्यय राशि के अलावा किसी भी प्रकार GST या Tax पृथक से देय नही होगा।
13. सफल निविदादाता द्वारा सभी वाहन नवीनतम मॉडल एवं साफ-सुथरी जिनकी सीटे आरामदायक होनी चाहिये, उपलब्ध करानी होगें।
14. वाहन चालक को निर्धारित यूनिफॉर्म पहनकर ही वाहन चलाना होगा तथा वाहन चालक द्वारा शराब या किसी अन्य मादक पदार्थ का सेवन करके वाहन चलाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

15. यदि विशेष परिस्थितिवश कार्यक्रम स्थगित/निरस्त किया जाता है तो संस्थान द्वारा वास्तविक किलोमीटर (निविदादाता के कार्यालय से संस्थान एवं वापस संस्थान से निविदादाता के कार्यालय तक) का प्रति किलोमीटर की दर से ही व्यय देय होगा।
16. शिविर/यात्रा पर प्रस्थान एवं वापसी लौटने तक का प्रभारी अधिकारी से वाहन के द्वारा की गयी यात्रा का प्रमाणीकरण करवाया जाना आवश्यक होगा, इसके अभाव में बिल का भुगतान करना संभव नही होगा ।
17. शिविर/यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व वाहन से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज अर्थात वाहन चालक का लाईसेन्स, R.C., इंश्योरेन्स, वाहन फिटनेश, परमिट, प्रदूषण सर्टिफिकेट इत्यादि पूर्ण होने चाहिये इन अपेक्षित दस्तावेजो की छाया प्रति शिविर समन्वयक प्रभारी अधिकारी एवं अन्य प्रभारी अधिकारी, रा.आ.सं. जयपुर को जमा करवानी होगी। यदि यात्रा के दौरान कोई कठिनाई/परेशानी उत्पन्न होती है, तो उसकी समस्त जिम्मेदारी वाहन स्वामी/ निविदादाता की होगी ।
18. वाहन चालक / परिचालक व्यवहारिक अनुशासित होना चाहिये, यदि चालक / परिचालक के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसका समस्त उतरदायित्व निविदादाता का होगा ।
19. संस्थान द्वारा आवश्यकता पड़ने पर वाहन की मांग करने पर निविदादाता द्वारा वाहन उपलब्ध नही करवाने की स्थिति में संस्थान द्वारा अन्य वाहन ले जाने पर उसकी अन्तर राशि एवं संस्थान द्वारा सम्बन्धित बिल राशि की 10 प्रतिशत पैनल्टी राशि निविदादाता से वसूल की जायेगी।
20. निविदादाता फर्म द्वारा उपलब्ध कराया गया वाहन यदि रास्ते में कही खराब हो जाता है तो उक्त फर्म द्वारा दूसरा वाहन तुरन्त उपलब्ध करवाया जायेगा। दूसरा वाहन उपलब्ध नही करवाने की स्थिति में सम्बन्धित बिल राशि की 10 प्रतिशत पैनल्टी व संस्थान द्वारा दूसरे वाहन से गंतव्य स्थान तक पहुँचने पर व्यय किया गया कुल खर्चा निविदादाता फर्म से वसूल किया जायेगा।
21. फर्म द्वारा शिविरों के आयोजन पर भेजे जाने वाले A.C. वाहन में A.C. की परिभाषा स्पष्ट दर्शायी जानी चाहिये अर्थात गर्मी व वर्षा के मौसम में ठण्डी हवा Aircool तथा ठण्डे मौसम में गर्म हवा Warmer होना चाहिये।
22. बसें संस्थान से रवाना होने के बाद एक दिन में न्यूनतम 250 किलोमीटर प्रति वाहन प्रति दिन (24 घण्टें) तथा उसके बाद 250 किलोमीटर से अधिक गाडी चलने पर प्रति किलोमीटर की दर देय होगी तथा 250 किलोमीटर की Running का समय संस्थान से गाड़ी रवाना होने के बाद से माना जायेगा।
23. टैम्पो ट्रेवलर संस्थान से रवाना होने के बाद एक दिन में न्यूनतम 150 किलोमीटर जयपुर जिले (लोकल) के अन्दर तथा उसके बाद 150 किलोमीटर से अधिक गाडी चलने पर प्रति किलोमीटर की दर देय होगी तथा 150 किलोमीटर की Running का समय संस्थान से गाड़ी रवाना होने के बाद से माना जायेगा।
24. सफल निविदादाता को कार्यदेश देने के पश्चात् संस्थान से निर्धारित स्थल एवं निर्धारित स्थल से संस्थान तक किलोमीटर की गणना कर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

25. वाहन संस्थान से रवाना होकर निर्धारित स्थल तक पहुंचने तक यदि सुबह के 4–5 बजे तक पहुंचता है तो उस दिन का रात्रि शुल्क देय नही होगा तथा वापसी में निर्धारित स्थल से संस्थान तक यदि सुबह के 4–5 बजे तक पहुंचती है तो उस दिन का रात्रि शुल्क देय नही होगा।

26. निविदादाता फर्म द्वारा विगत पाँच वर्षो में किन्ही दो सरकारी कार्यालयों में दो वर्ष का गाडीयाँ चलाने का कान्ट्रेक्ट से सम्बन्धित दस्तावेज टेक्नीकल बिड में उपलब्ध कराना होगा ।

27. निविदादाता फर्म को कान्ट्रेक्ट दिये जाने पर रात्रि विश्राम के चार्जेज की गणना रात्रि 11.00 बजे पश्चात से की जावेगी ।

28. यात्रा के दौरान वाहन में किसी भी प्रकार की तकनीकी खराबी होने पर मरम्मत आदि का व्यय वाहन स्वामी / निविदादाता का होगा, संस्थान द्वारा किसी प्रकार का भुगतान नही किया जायेगा ।

29. सफल निविदादाता द्वारा निविदा में अंकित सभी गाडियां Commercial (टैक्सी) उपलब्ध करानी होगी। किसी भी स्थिति में प्राईवेट गाड़ी स्वीकार नहीं की जावेगी तथा जिस गाडी का आदेश दिया जायेगा वही गाड़ी भिजवानी होगी।

30. सफल निविदादाता द्वारा निविदा में अंकित बसों में संस्थान द्वारा भेजे जाने वाले मोबाइल केम्पो (शिविर) में डॉक्टरों का दल एवं डॉक्टरों के साथ दवाइयों के डिब्बे, उनका लगेज एवं अन्य सामान गाडियों में रखकर कार्यदेश अनुसार निर्धारित स्थान तक लाना एवं ले जाना होगा एवं इसका उलघ्घंन करने पर नियमानुसार टेण्डर निरस्त कर सिक्युरिटी राशि जब्त कर ली जावेगी।

31. वाहनों के कुल यात्रा किलोमीटर एवं न्युनतम किलोमीटर जो भी अधिक होगा भुगतान योग्य होगा ।

32. अनुबन्ध की अवधि अनुबन्ध की दिनांक से 1 वर्ष के लिये मान्य होगी । यह अवधि अनुबन्ध के पूर्ण होने के पश्चात भी आवश्यक होने पर एवं संस्थान द्वारा पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर अधिकतम 1 वर्ष के लिये (आपसी सहमति द्वारा) पुरानी दरों पर बढाई जा सकती है, जो कि निविदादाता को मान्य होगा । जिसके लिये 500/– रूपये का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा ।

33. फर्म द्वारा सन्तोषप्रद कार्य नहीं करने पर कॉन्ट्रेक्ट निरस्त किया जा सकता है।

34. सम्बन्धित फर्म को शपथ–पत्र देना होगा कि फर्म को किसी भी केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार एवं इसकी स्वायत्त संस्था द्वारा अयोग्य (Black Listed) घोषित नहीं किया गया है।

35. निविदादाता को नियमानुसार GST/TAX/अन्य सरकारी कर अतिरिक्त रूप से देय होगा।

36. निविदा को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकृत / अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार कुलपति, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर को होगा ।

37. कुलपति महोदय का निर्णय अंतिम रूप से सभी को मान्य होगा ।

38. निविदा खुलने के बाद निविदादाता द्वारा शर्तो में कोई परिवर्तन किया जाता है तो संस्थान को अमानत एवं सिक्यूरिटी राशि जप्त करने का अधिकार होगा तथा फर्म पर जीएफआर अनुसार कार्यवाही की जावेगी। फर्म की कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।

39. निविदा की फाइनेन्सियल बिड खोलने पर सभी आइटमों में जिस फर्म की ऑवरआल दरें न्यूनतम होगी उसी फर्म को कार्यादेश दिया जायेगा।

40. न्यूनतम दर होने के आधार पर कॉन्ट्रेक्ट करने के लिये या दर स्वीकृत करने के लिये संस्थान बाध्य नही होगा। यदि न्यनूतम दर एक से अधिक फर्मो की आती है, तो ऐसी स्थिति में फर्मो का विगत तीन वर्ष का औसत टर्नओवर, कार्य अनुभव, तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों एवं सरकारी उपक्रमों में कार्य करने का अनुभव जिसका अधिक एवं कार्य प्रफोरमेन्स जिसकी जितनी अच्छी होगी मूल्यांकन किया जाकर न्यूनतम दर तय की जावेगी।

41. निविदा में स्वीकृत दर की प्रभावशीलता समाप्त होने एवं दिये गये कार्य की अवधि पूर्ण होने पर सिक्यूरिटी राशि लौटा दी जायेगी।

42. फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना कुलपति, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को लिखित में निविदादाता द्वारा दी जाएगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले के सदस्य/सदस्यों को मुक्त नहीं किया जाएगा।

43. संविदा के सम्बन्ध में फर्म के किसी भी भागीदार/भागीदारों को निविदादाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिए लिखित रूप से बाध्य नहीं हो जाते एवं कुलपति, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को इस सम्बन्ध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते।

44. वाहन के 24 घण्टे की गणना प्रति वाहन संस्थान से रवाना होने के समय से की जावेगीं।

45. निविदादाता फर्म के स्वामी के नाम से कम से कम 02 बसें एवं 04 टैम्पो ट्रेवलर पिछले तीन वर्षो से रजिस्टर्ड होने चाहिए जिसके सम्बन्धित दस्तावेज तकनीकी निविदा में अपलोड करने होगें।

46. प्राप्त निविदा को किसी भी समय एवं निविदादाताओं द्वारा टेण्डर में अंकित शर्तो का उलघ्घंन करने पर बिना सूचना के पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत या रद्द करने का अधिकार संस्थान कुलपति को होगा ।

47. सभी विवादों के निपटारें हेतु न्याय क्षेत्र जयपुर होगा ।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

मैनें /हमने उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढकर अच्छी तरह समझ लिया हैं तथा समस्त शर्तो की पालना हेतु बाध्य हूँ/हैं ।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

(निविदा की समस्त शर्ते स्वीकार करने के प्रमाण-स्वरूप)

टेण्डर की शर्तो के अनुसार चाहे गये तकनीकी निविदा दस्तावेज

क्र. सं	चाहे गये दस्तावेज	पृष्ठ संख्या
1.	फर्म का रजिस्ट्रेशन पत्र	
2.	उद्यम आधार प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)	
3.	जीएसटी रजिस्ट्रेशन पत्र	
4.	विगत तीन वर्षो का आयकर विवरणी	
5.	फर्म के ब्लेकलिस्ट ना होने का शपथ पत्र	
6.	फर्म का टर्नऑवर के दस्तावेज (सी.ए. द्वारा प्रमाणित)	
7.	कार्य अनुभव के दस्तावेज (दो वर्षो का)	
8.	गाड़ीयों का रजिस्ट्रेशन (RC)	
9.	गाड़ीयों का इन्शोरेन्स का दस्तावेज	
10.	RTO Clearance का दस्तावेज	
11.	गाडी फिटनेस का दस्तावेज	
12.	वाहन चालक का हेवी लाईसेन्स का दस्तावेज	
13.	PUC का दस्तावेज	
14.	निविदादाता फर्म के नाम से 02 बसें एवं 04 टैम्पो ट्रेवलर रजिस्टर्ड होने के सम्बन्धित दस्तावेज	

निविदादाता के हस्ताक्षर

फर्म का नाम...

....

....

(सूचक मय रबड़ स्टाम्प)

List of Vehicles

S. No.	Description	Qty
1	18 Seater A.C. Heavy Vehicle (Small-Large Bus) Jaipur Local 100 K.M. in 12 Hours	01 nos
2	21 Seater A.C. Heavy Vehicle (Small-Large Bus) Jaipur Local 100 K.M. in 12 Hours	01 nos
3	27 Seater A.C. Heavy Vehicle (Small-Large Bus) Jaipur Local 100 K.M. in 12 Hours	01 nos
4	45 Seater A.C. Heavy Vehicle (Small-Large Bus) Jaipur Local 100 K.M. in 12 Hours	01 nos
5	52 Seater A.C. Heavy Vehicle (Small-Large Bus) Jaipur Local 100 K.M. in 12 Hours	01 nos
6	18 Seater Non A.C. Heavy Vehicle (Small-Large Bus) Jaipur Local 100 K.M. in 12 Hours	01 nos
7	21 Seater Non A.C. Heavy Vehicle (Small-Large Bus) Jaipur Local 100 K.M. in 12 Hours	01 nos
8	27 Seater Non A.C. Heavy Vehicle (Small-Large Bus) Jaipur Local 100 K.M. in 12 Hours	01 nos
9	45 Seater Non A.C. Heavy Vehicle (Small-Large Bus) Jaipur Local 100 K.M. in 12 Hours	01 nos
10	52 Seater Non A.C. Heavy Vehicle (Small-Large Bus) Jaipur Local 100 K.M. in 12 Hours	01 nos
11	18 Seater A.C. Heavy Vehicle (Small-Large Bus) 250 K.M. In Rajasthan	01 nos
12	21 Seater A.C. Heavy Vehicle (Small-Large Bus) 250 K.M. In Rajasthan	01 nos
13	27 Seater A.C. Heavy Vehicle (Small-Large Bus) 250 K.M. In Rajasthan	01 nos
14	45 Seater A.C. Heavy Vehicle (Small-Large Bus) 250 K.M. In Rajasthan	01 nos
15	52 Seater A.C. Heavy Vehicle (Small-Large Bus) 250 K.M. In Rajasthan	01 nos
16	18 Seater Non A.C. Heavy Vehicle (Small-Large Bus) 250 K.M. In Rajasthan	01 nos
17	21 Seater Non A.C. Heavy Vehicle (Small-Large Bus) 250 K.M. In Rajasthan	01 nos
18	27 Seater Non A.C. Heavy Vehicle (Small-Large Bus) 250 K.M. In Rajasthan	01 nos
19	45 Seater Non A.C. Heavy Vehicle (Small-Large Bus) 250 K.M. In Rajasthan	01 nos
20	52 Seater Non A.C. Heavy Vehicle (Small-Large Bus) 250 K.M. In Rajasthan	01 nos
21	18 Seater A.C. Heavy Vehicle (Small-Large Bus) per K.M. After 250 K.M. Running In/Out of Rajasthan	01 nos
22	21 Seater A.C. Heavy Vehicle (Small-Large Bus) per K.M. After 250 K.M. Running In/Out of Rajasthan	01 nos
23	27 Seater A.C. Heavy Vehicle (Small-Large Bus) per K.M. After 250 K.M. Running In/Out of Rajasthan	01 nos
24	45 Seater A.C. Heavy Vehicle (Small-Large Bus) per K.M. After 250 K.M. Running In/Out of Rajasthan	01 nos

25	52 Seater A.C. Heavy Vehicle (Small-Large Bus) per K.M. After 250 K.M. Running In/Out of Rajasthan	01 nos
26	18 Seater Non. A.C. Heavy Vehicle (Small-Large Bus) per K.M. After 250 K.M. Running In/Out of Rajasthan	01 nos
27	21 Seater Non. A.C. Heavy Vehicle (Small-Large Bus) per K.M. After 250 K.M. Running In/Out of Rajasthan	01 nos
28	27 Seater Non. A.C. Heavy Vehicle (Small-Large Bus) per K.M. After 250 K.M. Running In/Out of Rajasthan	01 nos
29	45 Seater Non. A.C. Heavy Vehicle (Small-Large Bus) per K.M. After 250 K.M. Running In/Out of Rajasthan	01 nos
30	52 Seater Non. A.C. Heavy Vehicle (Small-Large Bus) per K.M. After 250 K.M. Running In/Out of Rajasthan	01 nos
31	Tampo Traveller (12 seater) A.C. Mini Vehicle/Taxi- Jaipur Local 40 K.M. in 4 Hours	01 nos
32	Tampo Traveller (12 seater) Non A.C. Mini Vehicle/Taxi- Jaipur Local 40 K.M. in 4 Hours	01 nos
33	Tampo Traveller (12 seater) A.C. Mini Vehicle/Taxi- Jaipur Local 80 K.M. in 8 Hours	01 nos
34	Tampo Traveller (12 seater) Non A.C. Mini Vehicle/Taxi- Jaipur Local 80 K.M. in 8 Hours	01 nos
35	Tampo Traveller (12 seater) A.C. Mini Vehicle/Taxi- Jaipur Local 150 K.M. in 12 Hours	01 nos
36	Tampo Traveller (12 seater) Non A.C. Mini Vehicle/Taxi- Jaipur Local 150 K.M. in 12 Hours	01 nos
37	Tampo Traveller (12 seater) A.C. Mini Vehicle/Taxi- per K.M. After 150 K.M. Running In Jaipur District	01 nos
38	Tampo Traveller (12 seater) Non A.C. Mini Vehicle/Taxi- per K.M. After 150 K.M. Running In Jaipur District	01 nos
39	Tampo Traveller (12 seater) A.C. Mini Vehicle/Taxi- 250 K.M. Running In Rajasthan	01 nos
40	Tampo Traveller (12 seater) Non A.C. Mini Vehicle/Taxi- 250 K.M. Running In Rajasthan	01 nos
41	Tampo Traveller (12 seater) A.C. Mini Vehicle/Taxi- per K.M. After 250 K.M. Running In/Out of Rajasthan	01 nos
42	Tampo Traveller (12 seater) Non A.C. Mini Vehicle/Taxi- per K.M. After 250 K.M. Running In/Out of Rajasthan	01 nos
43	Tampo Traveller (12 seater) Night Charges	01 nos
44	All Buses Night Charges	01 nos